लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91–0755–2583650 फेक्स 2583651 ई–मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक / स्था.4 / सी / अं.जि.स्थानां. / 44 / 2010 / 109 भोपाल, दिनांक 12/01/2011

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / एफ 6–1 / 2010 / एक / 9, दिनांक 20.04.2010 द्वारा जारी वर्ष 2010–11 की स्थानांतरण नीति के तहत् निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:–

क्र.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री रामऔतार राजौरिया, भृत्य (UNIQUE CODE- AC4933)	शा. हाईस्कूल मुंगावली, जिला अशोकनगर (DISE CODE- 23460866602)	मुरैना

2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / एफ 6–1 / 2010 / एक / 9, दिनांक 20.04.2010 (वर्ष 2010–11 की स्थानांतरण नीति) की कंडिका 9.25 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले / स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाएं ।

3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।

4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।

6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली–भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान / पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण कराया जावे । यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच / आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें ।

निरंतर . . .

7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./44/2010/110 भोपाल, दिनांक 12/01/2011

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ–भवन, भोपाल ।
4. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, अशोकनगर/मुरैना मध्यप्रदेश ।
6. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. ओ.एस.डी. स्थापना–4 (स्थानीय) ।
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. श्री रामऔतार राजौरिया, भृत्य शा. हाईस्कूल मुंगावली, जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश